राजेश कुमार, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र-सह-आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2025 को 5.30 बजे अपराह्न V.C. के माध्यम से सम्पन्न कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली की तैयारी से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

बैठक में उपस्थित कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में निर्वाचक नामावली तैयारी हेतु कार्रवाई के बिन्दुओं पर समीक्षा की गई एवं निदेश दिये गये :-

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के तहत दिनांक 30.09.2025 को राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना (Public Notice) का प्रकाशन किया जा चुका है। उक्त प्रकाशन के उपरांत कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिये आवेदकों द्वारा फॉर्म-18 में आवेदन करना प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसे प्रत्येक आवेदक से प्राप्त आवेदन की जाँच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंड के आलोक में किया जाना Mandatory है। इस कार्यालय के पत्रांक 5977 दिनांक 06.10.2025 द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना की व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सभी मान्यता प्राप्त निबंधित राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के निमित्त इसकी प्रति सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है। अतः बिहार विधान परिषद के कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु उक्त प्रकाशित सार्वजनिक सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि अधिक से अधिक योग्य एवं पात्र निर्वाचकों की प्रविष्टि निर्वाचक नामावली में किया जा सके। तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

2. इस कार्यालय के पत्रांक 5993 दिनांक 08.10.2025 द्वारा कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-13ग(2) के तहत प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत/अस्वीकृत कर उनका निस्तार हेतु प्राधिकृत किया जा चुका है। इसलिए सभी 14 जिलों के जिला पदाधिकारी-सह-सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि आवेदन प्राप्ति के उपरान्त सभी विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंड के आधार पर स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्रवाई करेंगे तथा सभी संगत अभिलेखों का विधिवत एवं सुरक्षित संधारण सुनिश्चित करेंगे।

3. सभी संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि जिला के किसी वरीय पदाधिकारी को कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली की तैयारी हेतु जिला नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाय तथा उक्त नामित नोडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नं० प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया को उपलब्ध कराई जाय। उक्त नोडल पदाधिकारी फॉर्म-18 में प्राप्त हो रहे आवेदन से संबंधित प्रतिवेदन संकलित करते हुए प्रतिदिन प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया को उपलब्ध करायेंगे तथा निर्वाचक नामावली की तैयारी से संबंधित पदाभिहित पदाधिकारी के कार्यो की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेंगे।

4. सभी पदाभिहित पदाधिकारी (Designated Officer) तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण तत्काल कराने का निदेश दिया गया। ताकि उनके स्तर से निर्धारित प्रक्रिया का आवेदन फॉर्म-18 में सभी कागजात सहित प्राप्त करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई के नियमानुसार एवं समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे की प्रकाशित सार्वजनिक सूचना (Public Notice) के आलोक में सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा सभी पदाभिहित पदाधिकारी के स्तर पर आवेदन प्राप्त

करने, पंजी संधारण करने, कागजातों की जाँच करने, पावती देने सहित सभी विहित कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्राप्त आवेदनों को ERMS पोर्टल पर अपलोड की कार्रवाई भी की जानी है। अतः इस हेतु आवश्यक संसाधन यथा - कम्प्युटर सिस्टम, कम्प्युटर ऑपरेटर आदि की व्यवस्था सभी स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार संगत प्रावधानों के अनुसार कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली की तैयारी हेतु सभी कार्रवाई नियमानुसार की जानी है। अतः इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी-सह-सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बिना किसी विलम्ब के सभी स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करावें। तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में इस कार्य में संगत नियमों अथवा प्रक्रिया के अनुपालन नहीं होने की स्थिति न बने। इस हेतु निर्वाचन विभाग, बिहार पटना से प्राप्त भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का गार्ड फाईल संधारित करते हुए नियमानुसार कार्य सुनिश्चित करें।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह०/—
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,
कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
-सह-आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 6046 पूर्णिया, दिनांक 09.10.2025

प्रतिलिपि :- सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/ कटिहार/ अररिया/ किशनगंज/ सहरसा/ सुपौल/ मधेपुरा/ भागलपुर/ बाँका/ मुंगेर/ खगड़िया/ जमुई/ लखीसराय/ शेखपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया/ कटिहार/ अररिया/ किशनगंज/ सहरसा/ सुपौल/ मधेपुरा/ भागलपुर/ बाँका/ मुंगेर/ खगड़िया/ जमुई/ लखीसराय/ शेखपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Bye K.
09/10/2025.
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी,
कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
-सह-आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।